रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933
No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2011/CHAITRA 9, 1933

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2011

सं. एल-7/145(160)/2008-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009, जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल विनियम'' कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 3 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (25) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(25) "उपयोक्ता" से, यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, क्रेता, विक्रेता तथा अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जो अंतर–राज्यिक पारेषण नेटवर्क या सहबद्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों की सेवाएं लेते हैं।

टिप्पणः उत्पादन केन्द्र या उत्पादन केन्द्र के प्रत्येक ऐसे प्रक्रम, जहां उनके प्रत्येक प्रक्रम के लिए अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन पृथक् रूप से किया जाता है, को विनियम 23 के अनुसार बाजार प्रचालन प्रभार की भागीदारी के प्रयोजन के लिए तथा इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के लिए उपयोक्ता के लिए विचार किया जाएगा।'

3. **विनियम 5 का संशोधनः—** मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (4), खंड (5) तथा खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:

"(4) जहां ट्रयूंग–अप करने के पश्चात् वसूले गए प्रभार इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभार से अधिक होते हैं वहां ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इस प्रकार वसूली गई अधिक रकम को इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ उपयोक्ता को लौटाएगी।

(5) जहां ट्रयूंग–अप करने के पश्चात्, वसूले गए प्रभार इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों से कम हो वहां ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इस प्रकार वसूली गई रकम को उपयोक्ता से इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ वसूलेगी।

(6) इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम या अधिक वसूली गई रकम को, ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा छह बराबर मासिक किस्तों, जो ट्रयूंग–अप अभ्यास करने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्रारंभ होगी, में वसूला जाएगा या उसका प्रतिदाय किया जाएगाः

परंतु यह कि इस विनियम के खंड (4), खंड (5) तथा खंड (6) के लिए साधारण ब्याज की संगणना करने हेतु ब्याज की दर पर निम्नानुसार विचार किया जाएगाः—

(i) वर्ष 2009—10 के लिए 1.4.2009 को एसबीआई अल्पकालिक प्राइम उधार दर;

(ii) 1.7.2010 को एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2010—11 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट;

(iii) 1.7.2010 से 31.3.2010 तक मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2011—12 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2012—13 तथा 2013—14 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट्सः

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां प्रभारों का पहले ही अवधारण इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख को किया गया हो, वहां उपरोक्त उपबंधों को ट्रयूंग–अप के समय प्रभावी किया जाएगा।"

4. **विनियम 15 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 15 के अंत में, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(4) प्रज्ञावान जांच के पश्चात्, वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के मद्दे वास्तविक व्यय 2009–10 से 2013–14 के दौरान परिनिर्धारित प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों पर किया जाएगा।"

5. **विनियम 16 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 16 के खंड (2) तथा खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(2) वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक के लिए प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में, प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् 2008–09 की मूल स्तर पर प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने के लिए तथा तत्पश्चात् 2008–09 कीमत स्तर पर 2004–05 से 2008–09 तक के लिए प्रसामान्यीकृत औसत मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने हेतु औसतन 5.17% तक की दर से वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2009–10 के लिए मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने के लिए 2008–09 कीमत स्तर पर औसत प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगीः

परंतु यह और कि नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में कर्मचारियों में प्रत्याशित वृद्धि लागत पर भी प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(3) वर्ष 2009–10 के लिए मानव संसाधन खर्चों में नियंत्रण अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने के लिए प्रति वर्ष 5.72% की दर पर और वृद्धि की जाएगी।"

6. **विनियम 17 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 17 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः–

"(2) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथ उस पर निम्नलिखित के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थातः–

(i) वर्ष 2009–10 के लिए 1.4.2009 को एसबीआई प्राइम उधार दर;

(ii) वर्ष 2010–11 के लिए 1.7.2010 को एसबीआई उधार दर प्लस वर्ष 2010–11 के लिए 350 बेसिस प्वाइंट;

(iii) 1.7.2010 से 31.3.2011 तक मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2011–12 के लिए 350 बेसिस प्वाइंट;

(iv) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट्स।"

7. **परिशिष्ट 1 प्ररूप 2 का संशोधनः** मूल विनियम के प्ररूप 2 में, "........भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य उधार दर" शब्दों के स्थान पर "........को मुख्य उधार दर/एसबीआई की आधार दर" शब्द रखे जाएंगे।

8. **परिशिष्ट 1 प्ररूप 4 ख का संशोधनः** मूल विनियम के प्ररूप 4 ख के पाद टिप्पण में, "उत्पादन कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी" शब्द रखे जाएंगे।

9. **परिशिष्ट 2 का संशोधनः** मूल विनियम के परिशिष्ट 2 में, "विनियम के खंड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "विनियम 4 के खंड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु" शब्द तथा अंक रखे जाएंगे।

10. **परिशिष्ट 3 का संशोधनः** मूल विनियम के परिशिष्ट 3 में, निम्नलिखित क्रम संख्यांकों के सामने अवक्षयण दरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

| "क्रम सं. | आस्ति की विशिष्टियां | अवक्षयण दर |
|---|---|---|
| ग | .......... | |
| (क) | ......... | |
| (i) | कार्यालय तथा आवासीय | 3.34% |
| (ii) | ......... | |
| (iii) | अस्थायी संनिर्माण जैसे लकड़ी से बनी संरचना | 100% |
| (iv) | कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें | 3.34% |
| (v) | अन्य | 3.34%" |

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 186 में तारीख 26 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित किए गए थे।

# CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2011

**No. L-7/145(160)/2008-CERC.**—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other Related Matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the principal regulations"), namely :—

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2011.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 3:-** Clause (25) of Regulation 3 of principal regulations shall be substituted as under, namely:

*"(25) **'user'** means the generating companies, distribution licensees, buyers, sellers and inter -State transmission licensees, as the case may be, who use the inter–state transmission network or the associated facilities and services of National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centres.*

*Note: A generating station or each stage of the generating station, where its scheduling, metering and energy accounting is done separately for each stage, shall be considered as a user for the purpose of sharing of Market Operation Charges in accordance with Regulation 23 and for registration and payment of Registration fees in accordance with Regulation 24 of these Regulations ;"*

1157 GI/11-2

3. **Amendment of Regulation 5:-** Clauses (4), (5) and (6) of Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :

*"(4) Where after the truing up, the charges recovered exceeds the charges approved by the Commission under these regulations, the Power System Operation Company shall refund to the users, the excess amount so recovered along with simple interest at the rates specified in the proviso to this regulation.*

*(5) Where after the truing up, the charges recovered is less than the charges approved by the Commission under these regulations, the Power System Operation Company shall recover from the users, the under-recovered amount along with simple interest at the rates specified in the proviso to this regulation.*

*(6) The amount under-recovered or over-recovered, along with simple interest at the rates specified in the proviso to this regulation, shall be recovered or refunded by the Power System Operation Company in six equal monthly Installments starting within three months from the date of the order issued by the Commission after the truing up exercise:*

*Provided that the rate of interest, for clauses (4), (5) and (6) of this regulation, for calculation of simple interest shall be considered as under:-*

*(i) SBI short-term Prime Lending Rate as on 01.04.2009 for the year 2009-10.*

*(ii) SBI Base Rate as on 01.07.2010 plus 350 basis points for the year 2010-11.*

*(iii) Monthly average SBI Base Rate from 01.07.2010 to 31.3.2011 plus 350 basis points for the year 2011-12.*

*(iv) Monthly average SBI Base Rate during previous year plus 350 basis points for the year 2012-13 and 2013-14;*

*Provided further that in cases where charges have already been determined on the date of issue of this notification, the above provisions shall be given effect to at the time of truing up."*

4. **Amendment of Regulations 15:-** The following clause shall be added at the end of Regulation 15 of principal regulations, namely:

*"(4) The actual expenditure towards Annual Maintenance Contract (AMC), after prudence check, shall be considered in arriving at the Operation and Maintenance Expenses during 2009-10 to 2013-14"*

5. **Amendment of Regulations 16:-** Clauses (2) and (3) of Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:

*"(2) The normalized human resource expenses, after prudence check, for the years 2004-05 to 2008-09, shall be escalated at the rate of 5.17% to arrive at the normalized human resource expenses at the 2008-09 price years and then averaged to arrive at normalized average human resource expenses for the 2004-05 to 2008-09 at 2008-09 price level. The average normalized human resource expenses at 2008-09 price level shall be escalated at the rate of 5.72% to arrive at the human resource expenses for year 2009-10*

*Provided that human resource expenses for the year 2009-10 shall be further rationalized after considering 50% increase in employee cost on account of pay revision of the employees of the Public Sector Undertakings to arrive at the permissible human resource expenses for the year 2009-10.*

*Provided further that cost of anticipated increase in the manpower of each year of the control period shall also be considered after prudence check."*

*(3) The human resource expenses for the year 2009-10 shall be escalated further at the rate of 5.72% per annum to arrive at permissible human resource expenses for the subsequent years of the control period."*

6. **Amendment of Regulation 17:-** Clause (2) of Regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:

*"(2) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be considered as follows:*

*(i) SBI short-term Prime Lending Rate as on 01.04.2009 for the year 2009-10.*

*(ii) SBI Base Rate as on 01.07.2010 plus 350 basis points for the year 2010-11.*

*(iii) Monthly average SBI Base Rate from 01.07.2010 to 31.3.2011 plus 350 basis points for the year 2011-12.*

(iv) Monthly average SBI Base Rate during previous year plus 350 basis points for the year 2012-13 and 2013-14."

7. **Amendment of Appendix I Form-2:-** In Form-2 of principal regulations, the words "Prime Lending Rate of SBI as on……." Shall be substituted with the words "Prime Lending Rate/Base Rate of SBI as on………………"

8. **Amendment of Appendix I Form 4B:-** In the footnote of the Form 4B of principal regulations, the words "generating company" shall be substituted with the words "Power System Operation Company".

9. **Amendment of Appendix II:-** In the Appendix II to of principal regulations, the words and figures "To be published in pursuance of Clause (7) of Regulation 7" shall be substituted with the words and figures "To be published in pursuance of Clause (7) of Regulation 4".

10. **Amendment of Appendix III:-** The depreciation rates against the following serial numbers shall be substituted as under:

| "Sr. No. | Asset Particulars | Depreciation Rate |
|---|---|---|
| C | ……. | |
| (a) | ……. | |
| (i) | Offices and residential | 3.34% |
| (ii) | ….. | |
| (iii) | Temporary erections such as wooden structure | 100.00% |
| (iv) | Roads other than kutcha roads | 3.34% |
| (v) | Others | 3.34%" |

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/150/10-Exty.]

**Note :** The principal regulations were published on 26th September, 2009 Part III Section 4 of the Gazettee of India Extraordinary No. 186.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.